

उपखण्ड अधिकारी एवं लोक अदालत पीठासीन अधिकारी (आदेश नं. 11/17)

(Handwritten mark)

1. तहसीलदार

2. ग्राम

को भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

काम- 174
तारीख-

दिनांक:- 11/17
पदेन सहायक लेख, उपखण्ड अधिकारी एवं लोक अदालत पीठासीन अधिकारी (आदेश नं. 11/17)

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रतिष्ठि (अर्थात् प्रतिष्ठि)	आदेश (शुद्ध प्रतिष्ठि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कमलपुर	818 नया	अर्थात्	222/11/17

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली को रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान सँ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वय में ग्राम कमलपुर तहसील राजसमिति व जिला तहसील की जमाबन्दी सम्बन्ध में खता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रतिष्ठि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

:- आदेश :-

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, राजस्थान सरकार (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प कोर्ट, बीरवाड़ा

11.9.17